स्पीड पोस्ट

प्रसार भारती/PRASAR BHARATI

(भारत का लोक सेवा प्रसारक/India's Public Service Broadcaster)

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी

National Academy of Broadcasting & Multimedia

रेडियो कॉलोनी, किंग्ज़वे, दिल्ली- 110009

Radio Colony, Kingsway, Delhi-110009

संख्या : एन.ए.बी.एम./टाइपिंग परीक्षा/2019/6045 दिनांक : 11.09.2019 17

परिपत्र

विषय : अनुकंपा आधार पर, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के 5 प्रतिशत कोटे केअंतर्गत पदोन्नत एवं वरिष्ठता-सह उपयुक्तता आधार पर नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों के लिए टंकण परीक्षा का आयोजन ।

अनुकंपा आधार पर, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के 5 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत पदोन्नत एवं वरिष्ठता-सह उपयुक्तता आधार पर नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों के लिए शीघ्र ही एन.ए.बी.एम, दिल्ली में टंकण परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। टंकण परीक्षा के आयोजन के लिए अनुदेश/योजना/दिशा-निर्देश अनुलग्नक-I एवं II में दिए गए हैं ।

सभी क्षेत्रीय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा विधिवत तौर पर भरे गए एवं संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सत्यापित किए गए नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-III) को दिनांक: 10/10//2019 तक भेज दें ।

संलग्न : अनुलग्नक-I, II एवं III

-ह०-

(अनिल कुमार खुराना)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते अपर महानिदेशक (प्रशि.)

उप महानिदेशक / कार्यालयाध्यक्ष,
आकाशवाणी,
अहमदाबाद /लखनऊ /तिरुवनंथापुरम /पटना /कोलकाता /नई दिल्ली /जयपुर /भोपाल/
हैदराबाद /बेंगलूरू /चैन्नई /मुम्बई/ कटक /जालंधर /गुवाहाटी

प्रतिलिपि :

1. प्रसार भारती सचिवालय, (नामत : श्री दिनेश महुर, अपर महानिदेशक (प्रशा०), प्रसार भारती हाऊस, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाऊस, नई दिल्ली-110001
2. महानिदेशक (ध्यानार्थ : श्री संजीव वर्मा, उपनिदेशक प्रशासन) एस.-II अनुभाग, आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
3. निदेशक, आई.टी अनुभाग, रा.प्र.म.अ., दिल्ली (एअरनेट पर अपलोडिंग हेतु) ।

कृते अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण)

SPEED POST

PRASAR BHARATI
(INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
NATIONAL ACADEMY OF BROADCASTING AND MULTIMEDIA
ALL INDIA RADIO, RADIO COLONY
KINGSWAY CAMP, DELHI – 110009

No.NABM/Typing Exam/2019

Dated: 11/09/2019

CIRCULAR

Subject : Conducting Typewriting Test for LDC's appointed on compassionate ground and promoted against 5% quota through departmental competitive examination and through seniority – cum fitness basis .

The typewriting test for LDC's appointed on compassionate ground and promoted against 5% quota through departmental competitive examination and through seniority – cum fitness is proposed to be held shortly at **NABM, Delhi** for which the exact date will be intimated in due course. The instruction/scheme/ guidelines for holding the typewriting test is annexed at Annexure-I & II.

All the Zonal Heads are requested to send the nomination form (Annexure-III) duly filled by the candidates and attested by the respective Head of Office latest by 10/10/2019.

Encl. : Annexure-I , II & III.

-sd-
(ANIL KUMAR KHURANA)
Sr. Administrative officer
for Addl. Director General(Trg.)

DDG/Head of office,
All India Radio,
Ahmedabad/Lucknow/Thiruvanthapuram/Patna/Kolkata/New Delhi/Jaipur/Bhopal/
Hyderabad/Bengaluru/Chennai/Mumbai/Cuttack/Jalandhar/Guwahati.

Copy to:-

1. Prasar Bharati, Prasar Bharati Secretariat, (By name Sh. Dinesh Mahur, ADG(A), Coopernicus Marg, Mandi House, New Delhi.
2. The Director General(Kind attn: Shri Sanjiv Verma,DDA) S-II Section, All India Radio, Akashvani Bhavan, Parliament Street, New Delhi for information.
3. Director, IT Section, NABM for uploading on AIRNET

for Addl. Director General(Trg.)

अनुलग्नक-I,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 140 20/3/95-स्थापना (घ) दिनांक 14.09.1995 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी.-14017/20/2008-स्थापना(आर.आर.) दिनांक 17.05.2010 के संदर्भ में अनुकंपा आधार पर, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 5 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत पदोन्नत एवं वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों के लिए टाइपलेखन परीक्षा के आयोजन हेतु सामान्य अनुदेश/स्कीम/दिशा-निर्देश

टाइपलेखन परीक्षा के लिए सामान्य अनुदेश

क. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी.- 14017/20/2008-स्थापना (आर.आर.) दिनांक 17.05.2010 के अंतर्गत टाइपलेखन परीक्षा केवल कंप्यूटर पर होगी ।

ख. टाइपलेखन परीक्षा अंग्रेजी अथवा हिंदी में होगी ।

ग. अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म में टाइपलेखन परीक्षा के माध्यम के लिए अपनी तरजीह/विकल्प को दर्शाना होगा | विकल्प ना दर्शाए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी ने टाइपलेखन परीक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को चुना है ।

घ. अंग्रेजी माध्यम को चुनने वाले अभ्यर्थियों की अंग्रेजी टाइपलेखन की गति 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए एवं हिंदी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों की हिंदी टाइपलेखन गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए ।
35 शब्द प्रति मिनट एक घण्टे में 10500 के.डी. के बराबर हैं एवं 30 शब्द प्रति मिनट एक घण्टे में 9000 के.डी. के बराबर हैं ।

ङ. टाइपलेखन परीक्षा 10 मिनट की होगी । अभ्यर्थियों की टाइपलेखन गति की जाँच दिए गए गद्यांश को 10 मिनट में कंप्यूटर पर की गई टाइपिंग की शुद्धता के आधार पर की जाएगी । दृष्टि बाध्यता वाले दिव्यांगजनों (40 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता वाले) को हिंदी टाइपलेखन के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे ।

च. हिंदी टाइपलेखन परीक्षा केवल मंगल फॉट में ही होगी ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14020/1/2014-स्थापना (घ) दिनांक 22.04.2015 के अनुसार छूट

i.) ऊपरउल्लिखित अनुदेशों में निम्नानुसार छूट दी जाएगी -

क.) यदि नियुक्ति की तारीख को आयु 45 वर्ष से अधिक हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से छूट दी जाएगी ।

ख.) यदि नियुक्ति की तारीख को आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर छूट दी जाएगी ।

ग.) यदि नियुक्ति की तारीख को आयु 35 वर्ष से कम हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की अवर श्रेणी लिपिक की सेवा के उपरांत छूट दी जाए बशर्ते उन्होंने टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ईमानदारी से 2 बार कोशिश की हो अन्यथा उन्हें 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही छूट दी जाएगी ।

घ.) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ईमानदारी से 2 बार कोशिश की हो लेकिन अवर श्रेणी लिपिक के तौर पर 8 वर्ष की सेवा पूरी ना की हो तो उन्हें 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इनमें से जो भी पहले हो, टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी ।

ii.) शारीरिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को इन अनुदेशों में निम्नलिखित छूट होगी -

क.) शारीरिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन जो अन्यथा लिपिकीय पद पर कार्य करने के लिए पात्र हों एवं जिनके मामले में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबंद्ध चिकित्सा बोर्ड (अथवा सिविल सर्जन द्वारा जहाँ ऐसा बोर्ड ना हो) द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि वे टाइप करने में अक्षम हैं तो उन्हें टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी ।

ख.) 'शारीरिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन' पारिभाषिक पद में ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं है जो दृष्टि बाध्यता वाले दिव्यांगजन हों अथवा जो श्रव्य दिव्यांगजन हों लेकिन इसमें केवल ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनकी शारीरिक विकलांगता उन्हें स्थायी तौर पर टाइपिंग करने में अक्षम बनाती हो।

<u>वेतन वृद्धि बहाली</u>

क.) ऐसी छूट दिए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों की वेतन वृद्धियाँ उस तारीख से बहाल कर दी जाएंगी जिस तारीख से ऐसी छूट दी जाएगी । छूट की तारीख से पहले वाली अवधि के लिए कोई बकाया नहीं दिया जाएगा । यह भी शर्त है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख में कोई परिवर्तन ना हो ।

ख.) टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतन वृद्धियाँ टाइपलेखन परीक्षा की तारीख से बहाल कर दी जाएंगी लेकिन टाइपलेखन परीक्षा की इस तारीख से पहले की अवधि के लिए कोई बकाया नहीं दिया जाएगा । यह भी शर्त है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख में कोई परिवर्तन ना हो ।

अनुलग्नक : II

टाइपराइटिंग टेस्ट के लिए अंग्रेजी हिंदी मूल्यांकन की विधि

अशुद्धियों का प्रकार

i पूरी गलती : निम्नलिखित गलतियों को पूरी गलती माना जाएगा -

शब्द/अंक का प्रत्येक लोप । प्रत्येक स्थानापन्न गलत शब्द/अंक । प्रत्येक अतिरिक्त शब्द/अंक जो अनुच्छेद में ना हो ।

ii आधी गलती : निम्नलिखित गलतियों को आधी गलती माना जाएगा -

स्थान ना छोड़ने की गलतियाँ : जहाँ दो शब्दों के बीच कोई स्थान ना छोड़ा गया हो जैसे 'Thope' अथवा शब्दों अथवा शब्दों के वर्गों के बीच अवांछित स्थान छोड़ा गया हो जैसे । h ave'

वर्तनी की गलतियाँ : प्रत्येक वर्तनी संबंधी गलती जो दोहराने अथवा परिवर्धन अथवा प्रतिस्थापन अथवा लोप अथवा किसी वर्ण/वर्गों के स्थानापन्न के रूप में हुई हो जैसे कि 'spelling' शब्द को 'seeplings' इत्यादि टाइप करना ।

छोटे वर्गों के स्थान पर बड़े वर्गों अथवा बड़े वर्गों के स्थान पर छोटे वर्गों का प्रयोग

पेन अथवा पैंसिल से सुधार : पेन अथवा पैंसिल से की गई कोई भी शुद्धि मान्य नहीं होगी ।

अनुलग्नक : III

क्षेत्र : ....

कार्यालय/केन्द्र : ....

अनुकंपा आधार पर, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 5 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत पदोन्नत एवं वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की टाइपलेखन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन प्रपत्र

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित
पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

---

1. अभ्यर्थी का नाम एवं पदनाम :
2. आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र/सी.सी.डब्ल्यू. कार्यालय/केन्द्र जिसमें अभ्यर्थी कार्यरत है :
3. आकाशवाणी के क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. अवर श्रेणी लिपिक के पद पर लगातार नियमित सेवा की तारीख :
6. क्या अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है । :
7. क्या दृष्टि बाधित अभ्यर्थी है जिसमें अशक्तता का प्रतिशत 40 एवं इससे अधिक है। :
8. टाइपलेखन परीक्षा की भाषा के लिए विकल्प **(अंग्रेजी अथवा हिंदी)** :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कर्मचारी के उपर्युक्त ब्योरे की जाँच कार्यालयी रिकॉर्ड से एवं टाइपलेखन परीक्षा के लिए एन.ए.बी.एम. दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार कर ली गई है ।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापन

जोनल हेड द्वारा सत्यापन

Annexure- I

GENREAL INSTRUCTION/SCHEME/GUIDELINES FOR HOLDING TYPING TEST FOR LDC'S APPOINTED ON COMPASSIONATE GROUND AND PROMOTED AGAINST 5% QUOTA THROUGH DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION AND THROUGH SENIORITY-CUM-FITNESS BASIS IN TERMS OF DOP&T OM NO. F.NO. 14020/3/95-ESTT.(D) DT 14/09/1995 & DOP&T OM NO. AB-14017/20/2008-ESTT(RR) DT 17/05/2010.

GENERAL INSTRUCTION FOR TYPEWRITING TEST.

a. Typing test will be conducted only on computers in terms of DOP&T OM No. AB-14017/20/2008-Estt(RR) dt. 17/05/2010.

b. Typing Test will be conducted in English or in Hindi.

c. Candidates while applying for the Examination will have to indicate his/her choice/option for Typing Test Medium in the Application Form. If he/she does not indicate his option it will be presumed that he/she has opted for English typing test.

d. Candidates opting for English medium should have typing speed of 35 words per minute and those opting for Hindi medium should have typing speed of 30 words per minute. **35 wpm corresponds to 10500 key depressions per hour and 30 wpm corresponds to 9000 key depressions per hour.**

e. The duration of typing test will be 10 minutes. The speed of candidates typing test will be adjudged on the accuracy of typing on the computer of a given text passage in 10 minutes. Visually Handicapped candidates (with 40% disability and above) will be allowed 30 minutes.

f. Hindi typing test will be taken up on **Mangal font** only.

When Exemption may be allowed(In accordance with the DOPT OM No.14020/1/2014-Estt.(D) dated 22.4.2015)

(i) The above mentioned instructions provide for exemptions as under:-

a) If above 45 years of age on the date of their appointment, such person may be granted exemption from the date of their appointment.

b) If between the age of 35 years and 45 years at the time of their appointment, such person may be granted exemption on attaining the age of 45 years.

c) If below 35 years of age on date of appointment, such person may be given exemption after 10 years of service as LDC provided they have made two genuine attempts to pass the typing test, otherwise they may be granted exemption after attaining the age of 45 years.

d) Those LDCs who have made two genuine attempts for passing the typing test prior to the issue of this O.M. but have not completed 8 years service as LDC, may be granted exemption from passing the typing test after completion of 8 years of service or on attaining the age of 45 years, whichever is earlier.

(ii) For the physically handicapped persons, these instructions provide for exemptions as under :-

a) Physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical post and who are certified as being unable to type by the Medical Board attached to Special Employment Exchanges for the Handicapped (or by a Civil Surgeon where there is no such Board) may be exempted from passing the typing test.

b) The term 'physically handicapped persons' does not cover those who are visually handicapped or who are hearing handicapped but cover only those whose physical disability permanently prevents them from typing.

Release of Increments:-

(a) On such exemption being granted, the increments of affected persons may be released from the date from which such exemption is granted to them without any arrears for the period prior to the date of exemption, subject to the retention of normal annual date of increment.

(b) On their passing the typing test, the increments may be released from the date of the test without any arrears for the period prior to the date of the Test subject to retention of the normal annual date of increment.

Annexure- II

METHOD OF EVALUATION FOR TYPEWRITING /TEST (ENGLISH/HINDI)
NATURE OF MISTAKES

NATURE OF MISTAKES

i. **Full Mistakes** :- The Following errors are treated as full mistakes:--
For every omission of word / figure.
For every substitution of a wrong / figure.
For every addition of a word / figure not found in the passage.

ii. **Half Mistakes** :- The following errors are treated as half mistakes:--

iii. **Spacing Errors** :- Where no space is provided between two words. e.g. 'Ihope' or undesired space is provided between the words or letters of a word e.g. hope I have. 'I hxxave'

iv. **Spelling Errors** :- For every spelling error committed by way of repetition. Or addition or transposition or omission or substitution of a letter/letters. e.g. the word 'spelling' typed as 'seeplings' etc.

v. **Wrong Capitalisation** :- Wrong use of capital letter for small letter and vice-versa.

vi. **Corrections by Pen or Pencil** ;- Any corrections made by pen or pencil are ignored and no credit is given to such corrections.

Annexure- III

ZONE---

OFFICE/STATION--

FORMAT FOR NOMINATION OF CANDIDATES FOR TYPWTRITING TEST FOR LDC'S APPOINTED ON COMPASSIONATE GROUND AND PROMOTED AGAINST 5% QUOTA THROUGH DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION AND THROUGH SENIORITY-CUM-FITNESS BASIS.

Passport size photograph
Attested by HOO

---

1. Name & Designation of the Candidate:
2. AIR/DDK/CCW Office/ Station to which: he /she belongs
3. Name of Zonal Stations of AIR:
4. Date of Birth:
5. Date of holding continuous regular service: In the LDC.
6. Whether he/she belongs to SC/ST:
7. Whether Visually Handicapped candidate With 40% Disability and above.
8. Options of language to for Typing test: (Either in English or in Hindi)

SIGNATURE OF APPLICANT

THE ABOVE DATA OF THE OFFICIAL ARE DULY VERIFIED FROM THE OFFICIAL RECORD AND AS PER THE GUIDELINES OF NABM FOR TYPING TEST.

ATTESTATION FROM THE HEAD OF OFFICE

ATTESTATION FROM THE ZONAL HEAD